

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

३०२

Date :-20.09.2022

To,

Divisional Forest Officer District Baran,

विषय :- Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

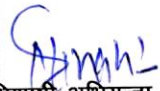
Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department on dated 08.01.2020 for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	EDS के बिन्दु संख्या A के तहत प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त दो अन्य वैकल्पिक मार्गों का विवरण अपेक्षित था । अर्थात् प्रस्तावित मार्ग के अलावा 2 अन्य वैकल्पिक मार्गों के दर्शाते हुए नक्शा तथा उक्त मार्गों में आने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना शीट उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी ताकि प्रस्तावित मार्ग में न्यूनतम वन भूमि आने के तथ्य को जस्टिफाई किया जा सके।	प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त दो अन्य विकल्पों का विवरण संलग्न किया गया है। तथा यह स्टेट हाइवे होने के कारण यह Strengthening का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी। अतः अन्य विकल्प उचित नहीं है।
2	EDS के बिन्दु संख्या 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन में सम्मिलित क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। कृपया प्रस्तावित सड़क के विरुद्ध आपके द्वारा कितनी लम्बाई व चौड़ाई में सड़क निर्माण का कार्य करवा लिया गया है व उसका क्षेत्रफल कितना है का विवरण उपलब्ध करावें।	श्रीमान उप वन संरक्षक बाराँ द्वारा Site Inspection Report में कुल 4.00 हेक्टर वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।

आपके द्वारा लगाये गये उक्त आक्षेपों के क्रम संख्या 1 व 2 की पूर्ति करते हुये समस्त दस्तावेज 12.11.2019 व 03.01.2020 को आपके कार्यालय में 5 प्रतियों जमा करा दिये गये थे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।


अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा